ग्राम पंचायत बखालग, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन के लेखों का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग—एक

1 **प्रस्तावनाः—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप—सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH HC (5)-(15) LAD/20096-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बखालग, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

2 **(क) परिशिष्ट "ग"** के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधान	अवधि	पंचायत सचिव	अवधि
श्री हीरा लाल चंदेल	01.04.2013 से 23.01.2016	श्रीमती अंजना देवी	01.04.2013 से 31.03.2016
श्री किरपा राम	24.01.16 से लगातार		

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	विवरण	पैरा सं0	₹ लाखों में
1	सम्भावित दुर्विनियोजन	5 (क)	0.43
2	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय	8 (i)	2.11
3	निर्धारित अवधि में अनुदानों का उपयोग करना	8 (ii)	13.63
4	क्रय की गई लेखन/निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न दर्शाना	21 (ii)	1.14

भाग—2

3 ग्राम पंचायत बखालग अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये हैं, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय 9.8.16 तथा दिनांक 14.3.17 से 18.3.17 तक विकास खण्ड कार्यालय, कुनिहार

में किया गया। अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 03/14, 09/14 व 03/16 तथा व्यय हेतु माह 03/14, 02/15 व 08/15 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्थ में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

4 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत बखालग के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.16 तक के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 94 दिनांक 17.03.2017 द्वारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

5 वित्तीय स्थितिः–

(क) स्व स्त्रोतों एवं अनुदानः–

(i) ग्राम पंचायत बखालग के स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानो से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** के अनुसार निम्न प्रकार से है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष
2013–14	504563.65	216327	720890.65	219224	501666.65
2014–15	501666.65	455990	957656.65	129574	828082.65
2015–16	828082.65	1470668	2298750.65	469542	1829208.65
दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष					1829208.65
दिनांक 31.03.2016 को विभिन्न बैंक खातों का शेष					1843978.65
दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर					14770

नोटः— कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अन्तर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31.03.16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त यह प्रतीत होता है कि वित्तीय स्थिति में जो अन्तर ₹14770 दर्शाया गया है वह अन्तर ₹14770 के स्थान पर ₹27486 (14770+12716) बनता है क्योंकि **परिशिष्ट "क"** के अनुसार ₹12716 जोकि IAY का आरम्भिक शेष था उसे स्व स्त्रोत तथा अनुदानों के आरम्भिक शेष में सम्मिलित कर लिया गया था जोकि अनुचित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों में ₹27486 के अन्तर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) ₹0.43 लाख के सम्भावित दुर्विनियोजन बारेः—

परिशिष्ट "क" द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को सामान्य (स्व स्त्रोत तथा अनुदानों) खातों में ₹1843978.65 शेष थी। इस शेष राशि में पंचायत सचिव के अनुसार ₹42672.70 भी सम्मिलित थी जिसकी पूर्व सचिव ने डाक घर बचत खाते बखालग से दिनांक 04.02.2011 को निकासी तो की थी परन्तु इस राशि का इन्द्राज रोकड़ बही में नहीं किया गया था। कई बार आग्रह के पश्चात भी डाकघर बचत खाते बखालग से सम्बन्धित पास बुक अंकेक्षण के दौरान नहीं दशाई गई जिस कारण इस राशि की निकासी की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक पड़ताल तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(ख) IAY:-

ग्राम पंचायत बखालग के IAY से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः—

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष
2013—14	शून्य	151830	151830	119500	32330
2014—15	32330	13710	46040	108000	—61960
2015—16	—61960	2154	—59806	शून्य	—59806

दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष	59536
दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न बैंक खातों/बही खातों के अनुसार शेष	शून्य
दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर	59536

नोटः– कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अन्तर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31.3.2016 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त यह प्रतीत होता है कि वित्तीय स्थिति में जो अन्तर ₹59536 दर्शाया गया है वह अन्तर ₹59536 के स्थान पर ₹46820 (59536–12716) बनता है क्योंकि **परिशिष्ट "क"** के अनुसार ₹12716 जोकि IAY का आरम्भिक शेष था उसे स्व स्त्रोत तथा अनुदानों के आरम्भिक शेष में सम्मिलित कर लिया गया था जोकि उचित नहीं है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों में ₹46820 के अन्तर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) वाटर शेडः–

(i) ग्राम पंचायत बखालग के वाटर शेड से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष
2013–14	28197	215466	243663	0	243663
2014–15	243663	35495	279158	25668	253490
2015–16	253490	21043	274533	228769	45764
दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष					45764
दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न बैंक खातों/बही खातों के अनुसार शेष					85544
दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर					39780

नोटः– कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अन्तर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31.3.16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 दिनांक 31.3.16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹39780 के अन्तर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(घ) **PMAGY:-**

ग्राम पंचायत बखालग के PMAGY से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष
2013–14	शून्य	184239	184239	108080	76159
2014–15	76159	718221	794380	7000	787380
2015–16	787380	29551	816934	137188	679746
दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष					679743
दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न बैंक खातों/बही खातों के अनुसार शेष					679743
दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर					शून्य

(ङ) **मनरेगाः–**

ग्राम पंचायत बखालग के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष
2013–14	12448	807218	819666	811649	8017
2014–15	8017	433290	441307	433290	8017
2015–16	8017	356763	364780	356763	8017
दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष					8017
दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न बैंक खातों/बही खातों के अनुसार शेष					2
दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर					8015

नोटः– कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अन्तर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31.03.2016 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹8015 के अन्तर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

6 वित्तीय स्थिति में दर्शाए गए आरम्भिक शेषों बारेः–

(i) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दिनांक 01.04.2013 को जो आरम्भिक शेष उठाए गए थे यह आरम्भिक शेष Trial Balance वर्ष 2012–13 **परिशिष्ट "क"** में दर्शाए गए दिनांक 31.3.13 को दर्शाए गए अन्तिम शेषों के आधार पर उठाए गए थे परन्तु सम्बन्धित खाता बही इन शेषों की प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने के कारण विभिन्न बैंकों के आरम्भिक शेष बही खाता में दर्शाए गये शेषों के अनुसार है तथा सही है इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाये ताकि दिनांक 1.4.13 को दर्शाए गए आरम्भिक शेष अभिलेखानुसार है इस तथ्य की पुष्टि की जा सके।

7 बैंकस तथा डाकघर खातों में दिनांक 31.3.16 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारेः–

परिशिष्ट "क" द्वारा विभिन्न बैंक/डाकघर खातों में जमा राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी परन्तु बार–2 आग्रह करने के पश्चात भी निम्नलिखित बैंक्स/डाकघर में दिनांक 31.3.16 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित बैंकों तथा डाकघरों से प्राप्त करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। इस कारण इन खातों में दिनांक 31.3.16 कों जमा राशि के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 आगामी अंकेक्षण पर सम्बन्धित बैंकों/डाकघरों से दिनांक 31.3.16 को जमा राशि बारे प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए ताकि जमा राशि के सही होने बारे पुष्टि की जा सके।

क्र0सं0	**बैंक/डाकघर का नाम**	**दिनांक 31.3.16 को शेष राशि (₹)**
1	SBOP, कुनिहार	1276
2	PNB, पिपलु घाट	5558
3	PNB, पिपलु घाट	48107
4	JCC बैंक, अर्की	132212
5	डाकघर, बखालग	शून्य

8 विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित जानकारी में पाई गई अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत शेषों, प्राप्तियों तथा भुगतानों बारे उपलब्ध करवाई गई जानकारी **परिशिष्ट "ख"** के अनुसार पंचायत द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के अन्त में तैयार की गई वार्षिक आय व्यय विवरणी (RD) तथा तुलन पत्र के आधार पर बनाई गई थी। उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) प्राप्त अनुदानों से ₹2.11 लाख का अधिक व्यय करनाः–

परिशिष्ट "ख" द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित अनुदानों का शेष दिनांक 31.3.16 को ₹210655.50 ऋणात्मक दर्शाया गया था जिसके बारे चर्चा के दौरान सन्तोषप्रद उत्तर प्राप्त नहीं हो सका। अतः अनुदानों की राशि को ऋणात्मक दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमितता का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

अनुदान का शीर्ष	दिनांक 31.3.16 को शेष
भत्ता चौकीदार	3300
मान देये प0 पदाधिकारी	39750
वेतन चौकीदार	26721
वेतन सि0 अध्यापिका	50150
कार्यालय व्यय	32409
वेतन त0 सहायक	10000
Welfare	10500
VKVNY	37855.50
कुल योग	**210685.50**

(ii) ₹13.63 लाख का निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **परिशिष्ट "ख"** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.16 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹1363427 का शेष दर्शाया गया था। जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोधन होने के

साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2016 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iii) विभिन्न अनुदानों के दर्शाए गए वार्षिक आय व्यय में अन्तर होने बारेः–

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "क" तथा परिशिष्ट "ख"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि अनुदानों के वार्षिक आय व्यय में निम्नानुसार अन्तर था जबकि दोनों जानकारियों में वार्षिक आय/व्यय की राशियाँ एक समान होनी चाहिए थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अन्तर के कारण चिन्हित करके तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

वित्त वर्ष	**परिशिष्ट "क" के अनुसार वार्षिक आय व्यय**		**परिशिष्ट "ख" के अनुसार वार्षिक आय व्यय**	
	आय	**आय**	**आय**	**व्यय**
2013–14	131696	206965	133340	210056
2014–15	380848	110234	380546	145475
2015–16	1324184	434681	1375658	423892

(iv) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारेः–

अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित अनुदान रजिस्टर/खाता बही प्रस्तुत न किये जाने के कारण तुलन पत्रों तथा अनुदानों से सम्बन्धित जानकारी में दर्शाए गए विभिन्न अनुदानों के आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। **परिशिष्ट "ख"** में दर्शाए गए विभिन्न अनुदानों के आरम्भिक शेष ग्राम पंचायत के दिनांक 31.03.2013 को सम्बन्धित तुलन पत्र में दर्शाए गए अन्तिम शेषों के अनुसार है। उपरोक्त अभिलेख न दर्शाए जाने के कारण **परिशिष्ट "ख"** में सभी अनुदानों के शेषों बारे जानकारी न उपलब्ध करवाई गई हो इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9 सावधि निवेशः—

परिशिष्ट "ग" द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा योजना में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके लेकिन यह प्रतीत होता हो कि इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिये गये निर्देशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

10 रोकड़ बही से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः—

(i) रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 1 से 50 में वर्णित आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता—क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम—3 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता "ख" जाना जाएगा, परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक पंचायत ने अपनी आय के स्त्रोतों की रोकड़ बही में कुछ अनुदानों की आय को भी सम्मिलित किया गया था व शेष अनुदानों हेतु चार रोकड़ बहियाँ अलग से लगाई गई थी, जो अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) रोकड़ बहियों के रख रखाव बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। कई माहों के अन्त में नियमानुसार प्रधान द्वारा नियमित रूप से प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था। अधिकतम वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्या नहीं लिखी गई थी।

रोकड़ बही में कई प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया था तथा कटिंग्स की गई थी तथा पंचायत द्वारा कभी–2 हस्तगत राशि भी निर्धारित सीमा से अधिक रखी गई थी। रोकड़ बहियों के आरम्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनमें कुल पृष्ठों की संख्या बारे भी सत्यापन नहीं किया गया था। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में हि0प्र0 पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7 (1, 2 व 3) तथा 10 (3) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से किया जाए।

11 **आयः–**

(i) मेले के दौरान प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान मेले शीर्ष के अन्तर्गत आय की प्राप्ति हुई थी। इस बारे चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक वर्ष माता बानिया देवी के मेले का आयोजन किया जाता है तथा ग्राम पंचायत को यह आय मेले के दौरान दुकानें लगाने पर दुकानों के किराए के रूप में विभिन्न व्यापारियों से प्राप्त होती है। परन्तु कई बार आग्रह करने पर पश्चात भी दुकानों के किराए के निर्धारण सम्बन्धी, उनकी संख्या बारे आदि अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान दुकानों के किराए के रूप में प्राप्त आय ₹53379 (23097+25470+4812) के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए ताकि उसके अनुसार प्राप्त आय की पड़ताल की जा सके। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक वित्त वर्ष के अन्त में तैयार की गई आय व्यय विवरणी (RD) का सत्यापन भी सम्बन्धित प्राधिकारी/कर्मचारी से करवाया जाए।

(ii) गृह कर की वसूली बारेः–

(क) ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली नियमित रूप से नहीं की जा रही थी जैसा कि वर्ष 2014–15 में न के बराबर की गई वसूली से स्पष्ट हो जाता है। यह भी पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान बकाया ₹37540 (1877 कुल परिवार (602+620+655)X20 गृह कर की दर) से अधिक ₹71780 (22240+650+48890) लगभग दोगुना गृह कर की वसूली की गई थी। जिसके सन्दर्भ में चर्चा के दौरान कोई सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस बारे स्थिति

स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में गृह कर की वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा गृह कर (₹20 प्रति वर्ष) के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए क्योंकि अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बाद भी यह अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) अंकेक्षण के दौरान गृह कर माँग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित कोई अभिलेख/रजिस्टर अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत होता है या तो इस अभिलेख का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा था या इसे पूर्ण रूप से नहीं भरा गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर पूर्ण करके प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) रसीद बुक से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। रसीद बुकों का प्रयोग क्रमवार नहीं किया जा रहा था तथा एक अवधि में एक से अधिक रसीद बुक्स का उपयोग किया जा रहा था। रसीद बुक रजिस्टर में कुछ रसीद बुकों (माह 03/14 से सम्बन्धित 43601 से 43700 तथा 101 से 200, माह 03/16 से सम्बन्धित 4201 से 4300) के जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त रसीद बुक रजिस्टर में न तो सभी स्तम्भों को नियमित रूप से भरा जा रहा था तथा न ही रसीद बुकों के शेष दर्शाए जा रहे थे। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(iv) अनुदानों की प्राप्ति से सम्बन्धित कार्यालय आदेशों/दस्तावेजों का रख रखाव न करनाः–

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय–2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते है। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होगें जिनमें जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कार्यों आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खण्ड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की

पड़ताल के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव ग्राम पंचायत में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज निविदाएँ इत्यादि प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान बार–2 आग्रह करने पर भी निम्नलिखित किये गये क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज निविदाएँ इत्यादि अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण क्रय करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 67 में दिए गये निर्देशों के अनुसार विहित प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि क्रय करते समय नियम 67 में दिए गए निर्देशों का पालन ही न किया गया हो। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज निविदाऐं इत्यादि आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए और यदि निम्नलिखित क्रस हेतु उपरोक्त नियम में वर्णित निर्देशों का पालन नहीं किया गया था तो इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई मद/ली गई सेवा का विवरण**
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	03/14	45	3150	रोकड़ बही तथा खाता बही
			1300	फोटोस्टेट
			1249	Anti virus आदि
	08/15	15	6054	हैंडल, चिटकनी आदि
			21110	दरवाजे खिड़कियाँ इनकी फिटिंग ढुलान आदि
मनरेगा	03/14	15	1540	सीमेन्ट किराया
			3522.96	स्टेशनरी तथा प्रिटिंग
		16	2300	बेलचा, फावड़ा, तकारी आदि
	02/15	07	11760	रेत
			1645	बजरी
			11340	रेत

13 ₹0.15 लाख के प्रिंटर के क्रय से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत ने प्रिंटर के क्रय हेतु माह 03/14 में (क) रोकड़ बही समान्य, पृष्ठ संख्या 46) को will information Technology, New Shimla को ₹14675 का भुगतान किया था। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 के अन्तर्गत प्रावधित नियमों के अनुसार ₹1000 से अधिक के भुगतान/क्रय के लिये निविदाएँ आमन्त्रित की जानी अनिवार्य है। प्रिंटर के क्रय से सम्बन्धित निविदाएँ (मनोज इंटरप्राईजिज शिमला, अम्बिका इंटरप्राईजजे, दाडला घाट, Will Information & Technology न्यू शिमला) के अवलोकन पर पाया गया कि इन पर न तो क्रय समिति के हस्ताक्षर थे तथा न ही प्राप्त करने की तिथि, उनके खोले जाने की तिथि बारे कोई विवरण दर्ज था। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि निविदाएँ सीलबंद भी नहीं थी जिस कारण निविदाएँ संग्रहण उपरान्त क्रय करने/कार्य करवाने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इन्हें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

14 भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित क्रय की गई सामग्री तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फर्मों/कार्यालय से भुगतान की एवज में पावतियाँ प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतियाँ अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में रसीदें ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	08/15	15	6054	हैंडल, चिटकनी आदि
			21110	दरवाजे खिड़कियाँ, इनकी

				फिटिंग, ढुलान आदि
मनरेगा	03/14	15	3522.96	स्टेशनरी तथा प्रिंटिंग
		16	2300	बेलचा, फावड़ा तकारी आदि
	02/15	07	11760	रेत
			1645	बजरी
			11340	रेत

15 मस्टर रोल सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

(i) अंकेक्षण के दौरान बार–2 आग्रह करने के बावजूद हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 102 (4) के अन्तर्गत प्रावधित मस्टर रोल जारी (issue) रजिस्टर पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि या तो इस रजिस्टर का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है या इसे नियमित रूप से पूर्ण नहीं किया गया था। इस कारण चयनित मासों में जिन मस्टर रोल्स द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु भुगतान किया गया था उन मस्टर रोल्स की संख्या, जिन निर्माण कार्य हेतु वे जारी किये गये थे, उनकी अवधियों तथा क्रमवार प्रयोग होने सम्बन्धी तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि विभिन्न कार्यों हेतु मस्टर रोल्स से सम्बन्धित Movement slip को पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था तथा कई प्रकरणों में Village monitoring committee (VMC) द्वारा भी मस्टर रोल्स पर करवाए गए निर्माण कार्यों पर सत्यापन नहीं किया जा रहा था। कई मस्टर रोल्स पर अपेक्षित सम्पूर्ण विवरण नहीं भरा गया था। उपरोक्त अनियमितताओं से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	मस्टर रोल संख्या/राशि	टिप्पणी
मनरेगा	03/14	14	2782/10488	मस्टर रोल पर village monitoring committee (VMC) द्वारा निर्माण कार्य सही पूर्ण होने सम्बन्धी सत्यापन नहीं किया गया था तथा मस्टर रोल से सम्बन्धी

				movement slip पूर्ण नहीं भरी गई थी
	02/15	07	1770/15862	मस्टर रोल पर village monitoring committee (VMC) द्वारा निर्माण कार्य सही पूर्ण होने सम्बन्धी सत्यापन नहीं किया गया था तथा मस्टर रोल से सम्बन्धी movement slip पूर्ण नहीं भरी गई थी
			1615/27874	–यथोपरि–
			1771/10010	–यथोपरि–

16 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

(i) विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई निर्माण सामग्रियों का उन निर्माण कार्यों पर हुई की खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन (verfication/assessment) न दर्शानाः–

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों का सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर हुई खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किया गया सत्यापन/आंकलन (verification/assessment) नहीं दर्शाया गया। जिस कारण इन निर्माण सामगियों का इन कार्यों के कार्यान्वयन हेतु उचित एवं पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया था इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों की सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर हुई खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	08/15	15	6054	हैंडल, चिटकनी आदि
			21110	दरवाजे खिड़कियाँ, इनकी फिटिंग आदि
मनरेगा	03/14	15	17010	सीमेंट
			11529	विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जारी सीमेन्ट
			4725	–यथोपरि–
			4725	–यथोपरि–

02 / 15	07	11760	रेत
		1645	बजरी
		11340	रेत

(ii) निर्माण कार्यों के आकलन सम्बन्धी अनियमितताएंः–

निर्माण कार्यों सम्बन्धी भुगतान से पूर्व सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा इन कार्यों का आकलन (assessment) किया जाता है तथा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाता है। परन्तु व्यय की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित कुछ मस्टर रोल्स पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य आकलन (Assessment) उपरान्त भुगतान की जाने वाली राशि का उल्लेख नहीं किया गया था तथा कुछ मस्टर रोल्स के आकलन (assessment) दर्शाए ही नहीं गए। सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के आकलन के बिना इन निर्माण कार्यों हेतु किये गये भुगतानों को सही नहीं माना जा सकता हैं अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	मस्टर रोल संख्या	टिप्पणी
मनरेगा	03 / 14	16	14352	3443	मस्टर रोल पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा आकलन से सम्बन्धित राशि का उल्लेख नहीं किया गया था
			9660	3080	–यथोपरि–
स्व स्त्रोत तथा अनुदान (सामान्य)	08 / 15	15	14400	10400	सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य का किया गया आकलन नहीं दर्शाया गया।

(iii) ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित / जारी की गई ₹0.30 लाख के स्वीकृत / उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि निम्न लाभर्थियों को आवास योजना (IAY) के अन्तर्गत मकान निर्माण आदि हेतु ₹30000 जारी की गई थी। परन्तु कार्य की समाप्ति के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किये जाने के कारण निम्न दर्शाए गए व्यय के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इन

अनियमितताओं बारे स्पष्टीकरण देने के साथ–2 इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)
IAY	03/14	17	30000

(iv) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारे

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने पर भी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 94 तथा 101 में दिए गये निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन (estimate) उनकी प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ एवं सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं (measurement books) में प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गईं। साथ ही माप पुस्तिकाओं के रख रखाव से सम्बन्धित रजिस्टर भी अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(v) ₹154 के अधिक भुगतान बारेः–

माह 02/15 में रोकड़ बही मनरेगा, पृष्ठ संख्या 07 में ₹15862 मस्टरोल संख्या 1770 से सम्बन्धित का भुगतान किया गया था। यह भुगतान 103 दिनों हेतु ₹154 प्रतिदिन की दर से किया गया था। परन्तु पड़ताल के दौरान पाया गया कि 103 दिनों के स्थान पर 102 दिनों हेतु भुगतान किया जाना था फलस्वरूप ₹154 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹154 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

17 जलपान करवाए जाने से सम्बन्धित अनियमितता बारेः–

व्यय की पड़ताल के दौरान 03/14 में ₹599 (रोकड़ बही सामान्य पृष्ठ संख्या 46) का व्यय जलपान पर किया गया था। परन्तु वाउचर में इस बारे कोई भी विवरण दर्ज नहीं था कि यह जलपान किन्हें तथा किस उद्देश्य हेतु करवाया गया था। इस कारण इन भुगतानों को सही नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्राप्तकर्ता ने पावती ₹600 की दी थी तथा भुगतान

₹599 का किया गया था जोकि उचित नहीं है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

18 इंटर नेट रिचार्ज बारेः—

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ₹599 इंटर नेट रिचार्ज हेतु भुगतान किये गए था। अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया गया कि यह रिचार्ज ग्राम पंचायत के काम काज को सुचारू रूप से चलाने हेतु किये गये थे। यह भी अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत में ब्रोड बैंड इंटर नेट की सुविधा उपलब्ध है। जब ग्राम पंचायत कार्यालय में ब्रोड बैंड इंटर नेट की सुविधा उपलब्ध है तो अलग से इंटर नेट रिचार्ज करवाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अंकेक्षण अवधि के दौरान इंटर नेट रिचार्ज पर किये गये व्यय की अपने स्तर पर गणना करके उस राशि की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि (₹)
सामान्य (स्व स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	03/14	45	200
		45	199
	02/15	31	200
		कुल योग	**599**

19 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान बारेः—

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 62 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकीदार, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका, की मेन आदि को मासिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है परन्तु पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः मानदेय की सही की पुष्टि हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई जानी सुपिश्चित की जाए।

20 अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण आवश्यक पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि	विवरण
स्वः स्त्रोत तथा अनुदान	03/14	46	238	भुगतान सम्बन्धी वाउचर
	02/15	31	11	–यथोपरि–
		15	500	टेलीफोन बिल
मनरेगा	03/14	15	450	भुगतान सम्बन्धी वाउचर
च्ड ।ळल	03/14	–	–	माह में ₹18900 के भुगतान के अतिरिक्त कोई भुगतान सम्बन्धी वाउचर नहीं दर्शाया गया।
वाटर शेड	08/15	43	152000 (40000+12000+50000+50000)	विकास खण्ड कार्यालय को राशि की वापसी परन्तु पावती नहीं दर्शाई गई
		43	34	पास बुक में कमीशन की प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई
	03/14	36	16300 (4100+12200)	सम्बन्धित रसीदें नहीं दर्शाई गई
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	03/14	44	1600	सिलाई अध्यापलिका के वेतन के भुगतान की प्रविष्टि सम्बन्धित अभिलेख में नहीं दर्शाई गई

21 स्टोर/स्टॉकः–

(i) ग्राम पंचायत के भण्डार के प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical verification) बारेः–

लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा भण्डार का भौतिक सत्यापन किये जाने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार ग्राम पंचायत

भण्डार का प्रत्येक 6 माह के पश्चात भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण यह प्रतीत होता है कि भण्डार का भौतिक सत्यापन किया ही नहीं जा रहा है जोकि निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार (नियम 73 तथा 77) अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में भण्डार का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) ₹1.14 लाख की क्रय लेखन/निर्माण सामग्री इत्यादि की स्टॉक प्रविष्टियाँ न दर्शानाः–

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद ₹114163.96 के निम्नलिखित बिलों के भुगतान एवं क्रय की गई वस्तुओं की प्राप्ति एवं जारी किये जाने सम्बन्धित प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक/स्टेशनरी रजिस्र्ट में नहीं दर्शाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	03/14	45	3150	रोकड़ बही तथा खाता बही
			100	ताले
		46	14675	प्रिंटर
			1249	एन्टीवायरस आदि
			334	स्टेशनरी
			242	स्टेशनरी
	02/15	31	375	स्टेशनरी
		33	397	स्टेशनरी
	08/15	15	6054	हैंडल, चिटकनी आदि
			21110	दरवाजे खिड़कियाँ इनकी फिटिंग ढुलान आदि
मनरेगा	03/14	15	17010 (90 बैंग सीमेन्ट)	सीमेन्ट (बिल की कुल ₹37800)
		15	3522.96	स्टेशनरी तथा प्रिटिंग
		16	2300	बेलचा, फावड़ा तकारी आदि
	02/15	07	11760	रेत

			1645	बजरी
			11340	रेत
PMAGY	03/14	1	18900	सीमेन्ट
		कुल	**114163.96**	

22 विविधः–

(i) बिल पारित करने सम्बन्धित निर्देशों का पालन न करनाः–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों/वाउचर का सत्यापन केवल प्रधान द्वारा ही किया गया था जोकि अनियमित है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) स्वः स्त्रोत की प्राप्ति आय से सीधा व्यय करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा कभी–2 स्व स्त्रोत से प्राप्त आय को सम्बन्धित बैंक खाते में जमा न करके रोकड़ बही में दर्शाने के उपरान्त पंचायत के कार्य हेतु व्यय किया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार पंचायत को प्राप्त होने वाली व पंचायत खाते से भुगतान की जाने वाली प्रत्येक राशि का सम्बन्धित खाते में जमा करवाया जाना व सम्बन्धित खाते में ही भुगतान किये जाने का प्रावधान हैं अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व भविष्य में उक्त नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(iii) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर, अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, स्टोर/स्टॉक रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नहीं

किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य मे नियमानुसार/निर्देशानुसार रजिस्टरों का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनको पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** अलग से जारी नहीं की गई है।

24 **निष्कर्षः—** खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iv) 3/2016—खण्ड—1— 5307—5310 दिनाँक,30.08.17
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत बखालग विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881